रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04072026-274099
CG-MH-E-04072026-274099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948
No. 467] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 18 जून, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 A के अंतर्गत अधिसूचना

सा.का.नि. 518(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे)संशोधन(अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया की धारा 20 A के खंण्ड (1) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में नायगांव और जुचंद्र स्टेशन के बीच वसई बाईपास डबल लाइन का निर्माण, की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात सक्षम प्राधिकारी और प्रांत अधिकारी वसई , तालुका वसई पालघर, जिला, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनावाई

करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है |

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जिला पालघर में नायगांव रेलवे स्टेशन और जुचंद्र रेलवेस्टेशन के बीच वसई बाईपास लाइन की विशेष रेल परियोजना हेतु वसई तालुका, जिला पालघर में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम.सं.	जिला	तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	संपादित क्षेत्रफल (चो(.मी.
1	पालघर	वसई	**उमेलमैन**	54	622.478
2	पालघर	वसई	**उमेलमैन**	57	6904.312
3	पालघर	वसई	**उमेलमैन**	45	5.000
4	पालघर	वसई	**उमेलमैन**	खाजन	101.690
5	पालघर	वसई	**उमेलमैन**	101	35513.248

[फा.सं. 602198**]**

मुकेश कुमार, मुख्य अभियंता (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th June, 2026

Notification under Section 20 A of the Railway Act, 1989

G.S.R. 518(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Construction of Vasai bypass double line between Naigaon and Juchandra stations in District Palghar in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority and Prant Officer Vasai, Taluka Vasai, District Palghar, Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Construction of Vasai bypass double line between Naigaon and Juchandra stations in District Palghar in the State of Maharashtra.

Sr. No.	District	Taluka	Village	Survey No.	Area of Land to be Acquired in (Sqm)
1	Palghar	Vasai	Umelman	54	622.478
2	Palghar	Vasai	Umelman	57	6904.312
3	Palghar	Vasai	Umelman	45	5.000
4	Palghar	Vasai	Umelman	Khajan	101.690
5	Palghar	Vasai	Umelman	101	35513.248

[F. No. 602198]

MUKESH KUMAR, Chief Engineer (Construction)-I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.07.04 13:46:12 +05'30'